

**कार्यालय,  
संघीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2018/888

लखनऊ दिनांक 15-5-2018

**कार्यालय ब्राफ-**

अधिकांश नारसीय स्कूलोंकी शिक्षा अल्पवय द्वारा संक्षिप्त सत्र 2018-19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को निर्देशक, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-19 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालिता संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पुष्टि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सत्र के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-18 में डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मध्य विभाग-विभाग कर निम्नपुत्र निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मेशी संस्थाओं जिन्हें सत्र 2018-19 हेतु ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-19 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

आ निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विभाग-विभागा द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय से अन्ततः पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2018-19 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	888	विद्या मुक्तकृत ज्ञानेश्वर शोध कर्मवीर गोवाइपु, मुम्बई, गीरवापुर	डिप्लोमा इन फार्मेशी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1902 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद (विनियमवार्ता) 1902 तथा अन्य निर्मित विनयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम अतिरिक्त) हेतु रु०- 30,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 21,00,00/ सुलभ ही प्रत्येक भवन/खान से प्राप्त विद्या आवेश। उपरोक्त की अधिविषय 1902 के सुलभ के सम्बन्ध में लख-समय पर सारांश द्वारा निर्मित विनय कानूनी शर्तों के अन्तर्गत प्रमाणी होयें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होय। फीस निर्धारण

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्रविध/परिध संख्या/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

**-कार्यालय धाप-**

अधिकांश प्राथमिक (फार्मसी) शिक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न तालिका प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद वायव्य संभाग के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यापक प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा अध्यापक शिक्षा परिषद को कार्यालय में भेजकर संपन्न हुई। संज्ञा में सत्र 2019-20 हेतु अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संख्या/पूर्व से संघान्वित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/संयुक्त/प्रयोग करवा चुके/करीब हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसार न सम्बद्धता समिति की बैठक को भद-3 में स्थगित इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयुक्त करने वाली नई संख्या नई प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मान्य विचार-विमर्श कर निम्नलिखित सिद्धि प्राप्त :-

एकप्राइवसीटीआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विभिन्न इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संयुक्त सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिक्षा द्वारा आयोजित कालेन्डरिअलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीटीसीआई0 अनुमोदन एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।'

उक्त निम्नलिखित उपरिष्ठ संज्ञा को परिषद की निर्दिष्ट समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी समिति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिखे गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद को 50 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों पर जतीय पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश पत्रों हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	अध्यक्ष का नाम	सम्बद्धता का नाम	एकप्राइवसीटीआई0/पीटीसीआई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रवेश संख्या
1	अक्षय	शिव प्रसाद शर्मा आयुष्य विभाग, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मसी	50	50

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संज्ञा एकप्राइवसीटीआई0 द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संज्ञा संज्ञा प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 का प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमन 1982 का 204 नियम विचार एवं प्रवेशों का अनुमोदन करेगी तथा मुख्य निर्दिष्ट समिति द्वारा निर्दिष्ट शुल्क को भेजकर इच्छित प्राथमिक हेतु 50 30,000/- प्रतिवर्ष, दो तर्फीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु को- 40,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तर्फीय पाठ्यक्रम (या जतीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 50- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्राप्त/संज्ञा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की प्रतिक्रिया प्राप्त/संज्ञाओं से शुल्क की पर्याप्त के समझ-समझ पर संज्ञा द्वारा निर्णय किये जाने वाले सभी सम्बद्धता प्रदान की गयी और अनुमोदन संस्थाओं द्वारा उक्त संज्ञाओं को सत्र 2019-20 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

- ✓ 1. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों, सरकारों की समर्थन किया जाना।
- ✓ 2. सचिव ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित क्षेत्रों को ही प्रकृत शिक्षा कायदा। सचिव को शिक्षा कायदा की शर्तों में बदलने का यात्रा के निर्देशात्मक रूप में शिक्षा की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ 3. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 4. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 5. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 6. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 7. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 8. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 9. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।
- ✓ 10. सचिव को (15/08/2019) अतिरिक्त शिक्षा, धार्मिक तथा जन शक्तियों का अनुसूचित क्षेत्रों का समर्थन प्रकृत जायद किया।

(सचिव सुभाष सिंह)  
 सचिव

15/08- धार्मिक/परिषद सम्बन्धित/2019/1133-2019

सर् दिनांक: 15-8-2019

नवविधिक-अन्तःस्थापित/निर्देशक, शिक्षा मुकद्दत कोर्टों में अतिरिक्त, सचिव, मुंबई, मुंबई

(सचिव सुभाष सिंह)  
 सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इजिजियर, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सुद्धि सहित अन्य मांगी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने को निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्र-3 में डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें अभावित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्पूर्ण अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-9-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4909	किस मुक्तमूलक जॉर्जिन ऑफ फार्मेली, मोरारपुर, मुंगेर, मोरारपुर।	डिप्लोमा इन फार्मेली	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आईआईटी0/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982, सेक्टर विनियमनाली-2018 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कूलिज निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित कूलिज लीन वरीय इन्जीर पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, टी जॉर्जिन फार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी जॉर्जिन पाठ्यक्रमों (टी जॉर्जिन फार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,000.00 प्रतिवर्ष कूलिज है अन्यथा छात्र/छात्रा से प्रत्येक विषय जायेंगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कूलिज को सम्बन्ध में कूलिज-सम्बन्धित कूलिज कूलिज विषय दिये जाने वाले शासनादेश प्रकृषी द्वारा, और अनुसार कार्यवाही किया





जमा आवश्यक होगा। फॉर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु सीटों को पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीटों को न्यूनतम पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (एनएच) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रवेश साधन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्भर आकाशवाणी व अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनएच/वीसीआई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रवेश साधन द्वारा बनाये गये विधि/विभाग/अभियंता/शासन-सदस्यों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा एनएच, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एनएच तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रवेश साधन द्वारा बनाये गये विधियों, संविधानों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर प्रत्येक वर्ष की सम्बद्ध यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त आवश्यकताओं संस्था को होता और विविध रूप से किसी भी आयोजनाओं के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रवेश साधन को कोई बाध प्रवेश किया जाता है तथा साथ ही संस्था में भा. विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर प्रत्येक वर्ष की सम्बद्ध यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश साधन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय के माध्यम से अध्यापक संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रवेश साधन द्वारा प्रवेश हेतु निर्भर न्यूनतम आकाशवाणी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टॉफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आकाशवाणी शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ सैन्य लेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यकताएं उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो, वे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित प्रत्येक वर्ष हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभियंता, भूमि-मामल, कारीगर, वसूली इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रत्येक के संभालन में इंतर्गत किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बद्धता सम्बन्धित जमा की अनुमति नहीं जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों एवं अनुपालन न किसे जाने प्रत्याशित की उत्तरदायित्व किसे जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन कार्यवाही की जायेगी।

(श्री अरविंद सिंह)  
सचिव

पूजा- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

सद. दिनांक: 15-09-2020

पत्तिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, विध्य गुरुकुल कॉलेज ऑफ फार्मरी, गोंडाईपुर, पुना, मौरजापुर।

(श्री अरविंद सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित सई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उदात्त अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4869-VINDHY GURUKUL COLLEGE OF PHARMACY , GOSAIPUR, CHUNAR, MIRZAPUR**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक ईजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उ०प्र० समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध दायर किया जाता है तथा दायर बाध के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का वितरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराते के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

09/08/2021

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक VINDHY GURUKUL COLLEGE OF PHARMACY, GOSAIPUR, CHUNAR,  
MIRZAPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव